**प्रकरण संख्याः— 16/2018**

**रामप्रसाद वगैरहा बनाम राजेश वगैरहा**

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 15/12/25 | पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा गत पेशी दिनांक 27.10.2025 को अपनी सहमती आदेशिका पर अंकित कर दी गई थी। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 17.02.2020 को जवाब पेश किया गया। जवाब शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 04 की मृत्यु होने पर प्रतिवादी संख्या 04 के अन्य वारिसान रिकॉर्ड पर होने से प्रतिवादी संख्या 04 का नाम हजफ किया गया। पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर वादी साक्ष्य कराई गई, प्रतिवादीगण को वादी साक्ष्य से जिरह हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर वादी साक्ष्य से प्रतिवादी जिरह बंद की गई। प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने एवं पर्याप्त अवसर देने पर भी उपस्थित नहीं आने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर साक्ष्य के अनुपस्थित रहने से वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार पारित की गई थी तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को हक हिस्से, कब्जे एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिनांक 15.07.2025 आदेशित किया गया था।<br><br>तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.08.2025 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक दिनांक 11.08.2025 से सूचना पत्र समस्त पक्षकारान् को जारी किया गया। सूचना पत्र पर वादीगण के हस्ताक्षर है। जबकि प्रतिवादीगण को मोबाईल नम्बर पर सूचित किये जाने का अंकन है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में मौके पर वादीगण उपस्थित रहे, जबकि प्रतिवादीगण को मोबाईल पर सूचित किये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये। जिसके कारण तहसीलदार | |

15/12/25

**सहायक कलक्टर**
**भीलवाड़ा**

| | | |
|---|---|---|
| 15/12/25 | भीलवाड़ा द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव में वादीगण एवं दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर है। प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त दो अवसर दिये गये, परन्तु प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप बाबत् विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। विभाजन प्रस्ताव पर समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।<br><br>निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।<br><br>15/12/25<br>सहायक कलक्टर<br>भीलवाड़ा<br>सहायक कलक्टर<br>भीलवाड़ा | |

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

# न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. रामप्रसाद पिता कर्मा जी हरिजन जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रामपाल पिता कर्मा जी हरिजन जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रतन पिता कर्मा जी हरिजन जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1. राजेश पिता रामलाल हरिजन जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी पुर हाल मुकाम एफ0 सी0 आई गोदाम रोड़ भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. उमेश पिता हरिजन जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी पुर हाल मुकाम एफ0 सी0 आई गोदाम रोड़ भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. माया पुत्री रामलाल जाति हरिजन पत्नी जयकिशन जी आयु वयस्क निवासी बिलिया खुर्द तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. सन्नुबाई पत्नी रामलाल हरिजन जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी पुर हाल मुकाम एफ0 सी0 आई गोदाम रोड़ भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (हजफ)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**
**बाबत् विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात**

प्रकरण संख्या 16/2018 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 15.12.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है–

तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिकी का अभिन्न अंग रहेगा।

15/12/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा